

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0

जी-1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर

वर्ष 2016-17 की अवधि के लिये आफसैट मुद्रण कार्य के लिये मुद्रकों का ऐमपेनलमेन्ट हेतु बिड्स

मुद्रणालय को वर्ष 2016-17 की (अनुबंध होने की तिथि से 31.03.2017 तक) अवधि के लिए मुद्रणालय की स्वीकृत दरों पर विभिन्न प्रकार के आफसैट मुद्रण कार्य हेतु मुद्रकों का ऐमपेनलमेन्ट करने के लिये प्रतिष्ठित प्रिन्टर्स/बोलीदाताओं से आनलाईन ई प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया से सहमति प्रस्ताव के साथ टू बिड्स दिनांक 18.04.2016 को साय 5 बजे तक आमंत्रित की जाती है। टू बिड पद्धति से बिड्स (तकनीकी एवं वित्तीय) मय मूल प्रपत्र, निविदा शर्तें एवं स्वीकृत दरें (परिशिष्ट "अ" से "द") मुद्रणालय की वेबसाईट www.thecooperativepress.com तथा eproc.rajasthan.gov.in व sppp.rajasthan.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है एवं वेबसाईट eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड किया जाना है। यदि मुद्रणालय की स्वीकृत दरों पर कार्य करने हेतु बिड्स सहमत है तो वित्तीय बिड में मुद्रणालय की स्वीकृत दरों को संबंधित दर के कॉलम में यथा रूप भरा जाना है। विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। बोलीदाता फर्म का जयपुर में कार्यालय/गोदाम/कार्यशाला होना अनिवार्य है।

Bidders who wish to participate in online tenders should have legally valid Digital Certificate as per Information Technology Act 2000 procured through any of the licence certifying Authority of India using which they can sign their electronic bids.

प्राप्त बिड्स के प्रस्तावों में तकनीकी बिड को उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोला जायेगा। तकनीकी बिड्स में सफल बोलीदाता की ही "वित्तीय बिड" को खोला जायेगा। किसी भी बिड या उसके किसी भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार मुद्रणालय को होगा तथा इस संबंध में मुद्रणालय का निर्णय ही अन्तिम व मान्य होगा। बोलीदाता द्वारा बिड प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह होगा कि समस्त शर्तें बोलीदाता को स्वीकार हैं। बिड के साथ दो प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि निविदा प्रपत्र में अंकितानुसार डीडी/NSC/बैंक गारन्टी/सावधि जमा रसीद द्वारा जमा कराना होगा। बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योग इकाई को बोली प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग संबंधी छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लघु उद्योग संबंधी प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ अपलोड करनी होगी। इस प्रकार की इकाई को आनलाईन सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी इसके अभाव में लघु उद्योग संबंधी छूट प्रदान नहीं की जावेगी। सफल बोलीदाता को सामग्री के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को सामान के मूल्य के एक प्रतिशत के बराबर नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा लिखित करार (अनुबन्ध) करना होगा।

बिड अनुबंध की वैधता अवधि अनुबंध होने की तिथि से 31.03.2017 तक होगी। आवश्यकता होने पर आपसी सहमति से, नियमों के तहत और बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में मुद्रणालय का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा। बढ़ाई गई अवधि के लिये अलग से करार नहीं किया जायेगा। किन्तु मुद्रणालय प्रशासन को अनुबंध अवधि समाप्त होने से पूर्व अनुबंध को खत्म करने का अधिकार होगा। इसमें किसी भी तरह का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

संलग्न : बिड (निविदा) प्रपत्र एवं शर्तें

प्रबन्ध निदेशक

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०,
जी-1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर
जयपुर

वर्ष 2016-17 की अवधि के लिये ऑफसैट मुद्रण कार्य हेतु बिड प्रपत्र प्रथम "तकनीकी बिड"

1. बिड प्रपत्र मूल्य रू. 1000/-
2. बिड सबमिशन समाप्ति की दिनांक 18.04.2016 को सांय 5.00 बजे तक
3. बिड खोलने की दिनांक 21.04.2016 को अपराह्न 1.00 बजे

1. बोलीदाता का नाम व पूर्ण पता.....
.....
बोलीदाता फर्म का स्थानीय स्तर पर कार्यालय/गोदाम/कार्यशाला का पूर्ण पता
.....
फोन नं.ई-मेलमोबाइल नं.

2. बिड प्राप्तकर्ता प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०, जयपुर

1	बोली प्रतिभूति राशि	डीडी द्वारा प्रेषित राशि.....
2	बोली प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग संबंधित छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लघु उद्योग संबंधी प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति बिड के साथ प्रस्तुत है। इस प्रकार की ईकाई बिड्स सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत मुद्रणालय में जमा करा दी गयी है।	डीडी द्वारा प्रेषित राशि.....
3	डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का विवरण	
4	प्रोसेसिंग फीस (MD, RISL) के नाम देय डीडी का विवरण (रूपये एक हजार मात्र)	
5	वैट रजिस्ट्रेशन नम्बर (प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न है।)	टिन नं.
6	बोलीदाता के कार्यालय, गोदाम एवं कार्यशाला का पूर्ण पता	
7	बोलीदाता के पैन नम्बर संलग्न है।	
8	बिड के साथ मुद्रित बहुरंगीय कार्य के नमूने संलग्न है (मोहर सहित)	पैन नं.

9	वैट की निर्धारित दर	
10	बोलीदाता का पंजीकृत प्रमाण-पत्र, निविदादाता के मालिक/साझेदार का नाम व पूर्ण विवरण	
11	डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का विवरण	
12	स्थापित मुद्रण यंत्रों का विवरण चालू अवस्था में :-	

बोलीदाता के हस्ताक्षर व मोहर

नोट :- तकनीकी निविदा (प्रपत्र'अ') वेबसाईट eproc.rajasthan.gov.in पर सम्बन्धित दस्तावेजों सहित पूर्णतया भरी हुई PDF Format में Cover 1 में अपलोड करनी होगी।

बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र

मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त बिड संख्या दिनांक के अन्तर्गत राजस्थान लोक उपापन मे पाददर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के अन्तर्गत एतद् घोषणा करता हूँ कि :-

- (1) यह कि मुद्रणालय द्वारा उक्त बिड्स से सम्बन्धित समस्त प्रकार की व्यवसायिक तकनीकी, आर्थिक एवं प्रबन्धकीय संसाधन आदि मेरे/हमारे पास उपलब्ध हैं।
- (2) यह कि मैं/हम केन्द्र और राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार के देय करों के लिये बाध्यकारी रहूँगा/रहेगें।
- (3) यह कि हम/मैं किसी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकारी, आदाता द्वारा दिवालिया आदि घोषित नहीं हूँ/है और न ही उक्त कारणों से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन है।
- (4) यह कि विगत 3 वर्षों में मैं/हम और हमारे निदेशक व अधिकारियों में से कोई व्यावसायिक गतिविधि के कारण किसी आपराधिक गतिविधि में सजायापता नहीं है और ना ही किसी प्रकार के गलत तथ्यों व झूठी घोषणाओं के कारण नियोग्य किये गये है।
- (5) यह कि मेरे/हमारे द्वारा बिड प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ़ लिया गया है और मैं/हम इसकी शर्तों/नियमों से पूर्णतया सहमत हूँ/है।
- (6) यह कि मैं/हम उक्त अधिनियम, नियम व बिड्स शर्तों से विपरीत कोई धारणा नहीं रखते है।
- (7) यह कि हमनें/मैंने विगत तीन वर्षों में बिड की लागत के न्यूनतम 100 प्रतिशत व्यवसाय किया है।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर बोलीदाता

नाम.....

पद.....

पता.....

.....

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०
जी-1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-302017
फोन नं. 0141-2751417, 2751352

वर्ष 2016-17 की अवधि के लिये मुद्रणालय की स्वीकृत दरों पर ऑफसेट मुद्रण कार्य हेतु मुद्रकों का
एमपेनलमेन्ट हेतु बिड प्रपत्र द्वितीय "वित्तीय बिड"

1. बोलीदाता का नाम व पूर्ण पता.....
.....
.....
2. मुद्रणालय में वर्ष 2016-17 की अवधि के लिये विभिन्न प्रकार के मुद्रण कार्य करने के एमपेनलमेन्ट हेतु हमारा प्रस्ताव निम्नानुसार है :-

ऑफसेट मुद्रण कार्य कराने की कुल अनुमानित राशि 250 लाख रूपये बोली प्रतिभूति राशि 5.00 लाख रूपये
लघु उद्योगों के लिए 1.25 लाख रूपये

3. बिड प्रपत्र के साथ निविदा एवं संविदा की जो शर्तें संलग्न हैं, हमें स्वीकार हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

नोट :- वित्तीय बिड (प्रपत्र 'ब') वेबसाईट eproc.rajasthan.gov.in पर दिये गये फॉरमेट में Cover 2 में स्वीकृत दरों पर कार्य करने का सहमति प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाना है।

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०, जयपुर

ऑफसैट मुद्रण कराने हेतु बिड एवं संविदा की शर्तें

सूचना : बोलीदाता को अपनी दरें भरते समय इन शर्तों को बहुत ध्यानपूर्वक पढना चाहिए।

1. वर्ष 2016—17 की (अनुबंध होने की तिथि से 31.03.2017 तक) अवधि के लिये मुद्रणालय की स्वीकृत दरों पर आफसेट मुद्रण कार्य कराने हेतु मुद्रणकार का एमपेनलमैन्ट करने हेतु बिड आनलाईन ई प्रोक्योरमैन्ट प्रक्रिया से टू बिड पद्धति से बिड्स (तकनीकी एवं वित्तीय) आमंत्रित करने हेतु हस्ताक्षरयुक्त वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दिनांक 18.04.2016 को सांय 5 बजे तक प्रस्तुत की जावेगी (1) तकनीकी बिड प्रपत्र 'अ' में बोली प्रतिभूति राशि व अन्य विवरण तथा (2) वित्तीय बिड प्रपत्र 'ब' में मुद्रणालय की स्वीकृत दरों पर कार्य करने के एमपेनलमैन्ट की सहमति स्वरूप प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। **यदि मुद्रणालय की स्वीकृत दरों पर कार्य करने हेतु बिडर सहमत है तो वित्तीय बिड में मुद्रणालय की स्वीकृत दरों को संबंधित दर के कॉलम में यथा रूप भरा जाना है।** बोलीदाता फर्म का जयपुर में कार्यालय/गोदाम/कार्यशाला होना अनिवार्य है।
2. क्रय समिति द्वारा सर्वप्रथम तकनीकी बिड को खोला जायेगा। तकनीकी बिड में योग्य पाये जाने पर ही वित्तीय बिड को खोला जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार वाद विवाद मान्य नहीं होगा।
3. विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. रंगीन मुद्रण कार्य केवल उन्हीं मुद्रणकारों को दिया जायेगा जिनके पास फोर कलर ऑफसेट प्रिन्टिंग मशीन उपलब्ध है तथा वास्तव में ऑफसैट रंगीन मुद्रण कार्य (फोर कलर) कार्य करता हो।
5. फर्म आवंटित आदेश को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं देगा और न ही उससे सप्लाई करवायेगा तथा न ही कार्य करने से मना करेगा।
6. संस्था को मुद्रण कार्य के निरीक्षण करने तथा गुणवत्ता/मेक आदि के बारे में जांच करने की शक्ति रहेगी।
7. बोलीदाता को अपने कार्यालय, गोदाम व कार्यशाला प्रांगण का पूर्ण पता देना होगा। जहां जाकर निरीक्षण किया जा सकेगा तथा उस व्यक्ति का पूरा नाम तथा पता मय फोन नं. भी देना चाहिये, जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।
8. यदि अनुमोदित मुद्रक गुणवत्ता, मेक या आकार से भिन्न मुद्रण किया जाता है तो वह अस्वीकार कर दिया जावेगा तथा बिना अतिरिक्त मूल्य के एक निश्चित अवधि के भीतर मुद्रक द्वारा उसको बदलना होगा।
9. सभी दरें एफ. ओ. आर. मुद्रणालय परिसर मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर अथवा निर्देशित स्थान में होगी। जिसका कोई कार्टेज देय नहीं होगा।
10. बोलीदाता जिसकी बिड स्वीकृत की जाती है, आदेश में अंकित समय की अवधि अथवा निर्देशित अवधि में कार्य पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा। समय पर आपूर्ति न करने पर नियमानुसार पेनल्टी लगायी जायेगी।
11. आपूर्ति का आदेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
12. बिड में कोई भी अभिवृद्धि (एडीशन) एवं परिवर्तन नहीं किये जाने चाहिए।

13. बोलीदाता को बिड प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ व अन्त में निविदा एवं अनुबन्ध की समस्त शर्तों को मानने के प्रमाण में हस्ताक्षर करने होंगे जो कि अनुबंध का भाग होगा।
14. तकनीकी एवं वित्तीय बिड अपलोड करते समय नियमानुसार दो प्रतिशत धरोहर राशि के रूप में डीडी द्वारा जमा करानी होगी। इसके बिना बिड्स पर विचार नहीं किया जायेगा। बोली प्रतिभूति राशि राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करानी होगी। यह बोली प्रतिभूति राशि जिस फर्म की बिड स्वीकार नहीं होगी, उन्हें बिड की अंतिम स्वीकृति होने से एक माह में लौटा दी जावेगी एवं जिन बोलीदाता की बिड स्वीकार की जावेगी उनके मामले में इस राशि को जमानत कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में समायोजन किया जावेगा।
15. पूर्व में मुद्रणालय में जमा बोली प्रतिभूति/सिक्कूरिटी राशि का बिड के साथ नियमानुसार जमा कराई जाने वाली राशि में समायोजन नहीं होगा।
16. उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योग इकाई को बोली प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग संबंधी छूट लेने हेतु निदेशक, उद्योग विभाग द्वारा जारी किये गये लघु उद्योग इकाईयों के पंजीयन पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रति बिड के साथ आनलाईन करना होगा। इस प्रकार की इकाई को बिड सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि मुद्रणालय में डीडी द्वारा जमा करानी होगी। इसके अभाव में लघु उद्योग संबंधी छूट प्रदान नहीं की जावेगी एवं बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
17. सफल बोलीदाता को निर्धारित प्रपत्र में पन्द्रह दिवस में एक अनुबन्ध करना होगा तथा संविदा की शर्तों को भली प्रकार से निभाने के लिए नियमानुसार पांच प्रतिशत सिक्कूरिटी के रूप में सिक्कूरिटी राशि जमा करानी होगी। रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को नियमानुसार एक प्रतिशत सिक्कूरिटी के रूप में सिक्कूरिटी राशि जमा करानी होगी। सहमत हुए संविदा का कार्य पूर्ण होने की तारीख से दो माह के बाद विवाद न होने की स्थिति में सिक्कूरिटी राशि लौटा दी जावेगी। ऐसी सिक्कूरिटी राशि पर मुद्रणालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। अनुबन्ध को पूरा करने एवं उस पर स्टाम्प आदि का जो व्यय होगा वह बोलीदाता फर्म को वहन करना पड़ेगा। कर्तव्य अधिकारी को निःशुल्क अनुबन्ध की एक स्टाम्प लगी हुई मूल प्रति दी जावेगी। अनुबन्ध के अभाव में बिड निरस्त कर दी जावेगी।
18. फर्म को भुगतान करने में (राशि के प्रेषण) जो भी अतिरिक्त व्यय होगा वह अनुमोदित फर्म द्वारा वहन किया जावेगा।
19. यदि अनुमोदित मुद्रक निर्धारित विशिष्ट विवरण के अनुसार माल सप्लाई करने में असफल हो जाता है या निर्दिष्ट अवधि के भीतर सामग्री भेजने में असफल रह जाता है तो मुद्रणालय अन्य प्रकार से व्यवस्था करने को स्वतंत्र होगा तथा जिसमें होने वाली क्षतिपूर्ति बोलीदाता फर्म से की जावेगी।
मुद्रणालय अनुमोदित मुद्रक द्वारा मुद्रित सामग्री सप्लाई नहीं किये गये या छोड़े गये या वितरित रूप से शिकायत के माल को सप्लाई करने के लिए लिखित में सात दिवस को नोटिस दे सकता है एवं बाद उस नोटिस की तामील होने की तारीख से सात दिवस के भीतर अनुमोदित मुद्रक पालना करने में असफल रहता है, तो ऐसे मामलों में यदि मुद्रणालय उचित समझता है तो उसके लिए उस सुरक्षित धन राशि को रोकना न्यायोचित होगा एवं वह जो भी सामान जो अनुमोदित मुद्रक के प्रति बकाया होगा उसे खरीदने के लिए अन्य व्यवस्था कर सकेगा तथा जो भी किसी अन्य अधिकरण के जरिये माल के वितरण करने की व्यवस्था करने में मुद्रणालय को अधिक व्यय वहन करना पड़ेगा, तो वह उसकी सिक्कूरिटी राशि में से पूरा किया जावेगा।

20. (1) सामग्री/माल निश्चित किये गये स्थान पर अच्छी दशा में तथा पूर्ण मात्रा में सम्भलवाया जायेगा। यदि अनुमोदित बोलीदाता फर्म चाहती हो तो माल की चोरी होने, आग, बाढ एवं समय के खराब होने से या अन्य प्रकार से बचने के लिए माल का बीमा करा सकता है जिसका व्यय स्वयं फर्म को वहन करना पड़ेगा।
- (2) अविवादित स्थिति में सामग्री का भुगतान बिल प्राप्त के एक माह में किया जावेगा। विवादास्पद सामग्री के मामले में निपटारा होने पर बिल का भुगतान किया जावेगा।
- (3) यदि परस्पर समझौता हो जाये तो बिड की मान्यता अवधि एवं सामान भेजने की अवधि दोनों में विस्तार किया जा सकता है।
- (4) बोलीकर्ता या उसके प्रतिनिधियों की ओर से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से बिड स्वीकृत करने के लिए प्रयास करने को अयोग्यता माना जावेगा।
21. मुद्रणालय किसी भी बिड को स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह न्यूनतम बिड को ही स्वीकार करें। वह किसी भी बिड/बिड के किसी भाग को उसके कारण बतलाये बिना रद्द कर सकता है।
22. बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म के लिए बिक्री कर (वैट) रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की प्रति निविदा के साथ आनलाईन करना होगा।
23. बोलीदाता द्वारा संस्था को विलम्ब से आपूर्ति करने पर नियमानुसार शास्ती लगाने का पूर्ण अधिकार संस्था प्रशासन को होगा जिसकी कटौती निविदादाता फर्म के पूर्व बिलों में से अथवा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से काटकर समायोजित कर ली जावेगी।
24. फर्म को पंजीकृत प्रमाण-पत्र एवं मालिक/साझेदार का नाम व पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होगा।
25. भुगतान योग्य बिलों पर नियमानुसार टी.डी.एस. काटा जायेगा।
26. दरें सभी प्रकार के कर सहित एवं वैट अतिरिक्त देनी होगी।
27. सभी प्रकार के मुद्रण कार्य में आधा प्रतिशत प्रति रंग के हिसाब से पेपर वेस्टेज देय होगा।
28. मुद्रणालय को आवश्यकता होने पर ही मुद्रण कार्य करवाया जायेगा।
29. Bidders who wish to participate in online tenders should have legally valid Digital Certificate as per Information Technology Act 2000 procured through any of the licence certifying Authority of India using which they can sign their electronic bids.
30. मुद्रण कार्य मुद्रणालय द्वारा दिये जाने वाले इन्डैन्ट तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण करना होगा। निर्देशों के विपरीत होने पर माल स्वीकार नहीं किया जावेगा तथा उस सामग्री की राशि का पूर्ण पुनर्भरण बोलीदाता को ही करना होगा।
31. मुद्रण कार्य के लिये दिये जाने वाले कागज को पूर्णतः गिनकर ले जाना व मुद्रण उपरान्त गिनकर संभलवाना होगा जिसका कोई कोर्टेज (ट्रान्सपोर्टेशन व्यय) देय नहीं होगा।
32. बोलीदाताओं से उत्पन्न होने वाली सभी विवादों एवं अनुबंध के निर्वचन से सम्बन्धित सभी विवादों के निपटारे के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के तहत उपापन से सम्बन्धित विवादास्पद प्रकरण के सम्बन्ध में अपील की सुनवाई का अधिकार प्रथम अपील प्राधिकारी मुद्रणालय के प्रशासक/संचालक मंडल एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर में निहित है।

33. बिड्स अनुबन्ध 31.03.2017 तक के लिए मान्य होगा। आवश्यकता होने पर आपसी सहमति से नियमों के तहत आगे बढ़ाया जा सकेगा। अथवा मुद्रणालय प्रशासन को अनुबंध अवधि से पूर्व भी अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा।
34. बिड स्वीकृत करने/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रशासक, सहकारी मुद्रणालय को होगा।
35. आयकर/बिक्री कर चुकती प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
36. दरों में शब्दों एवं अंको में अंतर होने पर शब्दों वाली दर सही मानी जावेगी।
37. बोलीदाता/फर्म को पहचान हेतु फोटो युक्त आई डी प्रूफ प्रस्तुत करना है।
38. दोनों बिड्स (निविदाएं) (तकनीकी एवं वित्तीय) वेबसाईट eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जानी है। बिड्स प्रपत्र (टू बिड) एवं शर्तें इस मुद्रणालय की वेबसाईट www.thecooperativepress.com तथा eproc.rajasthan.gov.in व sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। तकनीकी बिड्स के साथ ही बिड्स प्रपत्र की राशि 1000/—, प्रोसेसिंग फीस 1000/— व बोली प्रतिभूति राशि का DD Scan Copy अपलोड करने पर ही वित्तीय बिड्स में हिस्सा लिया जा सकता है।
39. मुद्रणालय के राजस्थान लोक उपापन में पारिदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में दशार्थ गये नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्यवाही का अधिकार होगा।
40. सशर्त बिड स्वीकार नहीं की जायेगी।
41. संबंधित नमूने व बिल आदि मुद्रणालय में भौतिक रूप से जमा कराये जाने है।

प्रबन्ध निदेशक

हमने उक्त बिड्स शर्तें पूर्ण रूप से पढ ली है तथा हम उक्त सभी शर्तों को मानने के लिए बाध्यकारी होंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर